

राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग  
(ग्रामीण विकास अनुभाग-14)

क्रमांक एफ 2(1)ग्राविवि/14/SECC/2011/

जयपुर, दिनांक 01.11.2011

जिला कलक्टर एवं  
प्रमुख SECC-2011 अधिकारी,  
समस्त, राजस्थान।

विषय:- सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना-2011 (Socio-Economic and Caste Censuses (SECC)-2011)के संबंध में जिले की जनगणना हेतु जिला कलक्टर स्तर पर किये जाने वाले कार्यों के संबंध विस्तृत दिशा-निर्देश बाबत।


संदर्भ :- विभागीय समसंख्यक परिपत्र -3 दिनांक 6.9.2011

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित परिपत्र के बिन्दु संख्या II (5) के अनुसार प्रगणकों की नियुक्ति प्राईमरी विद्यालयों के शिक्षकों में से नहीं किये जाने के निर्देश दिये गये थे।


उक्त निर्देशों में संशोधन करते हुये निर्देशित किया जाता है कि प्रगणकों की नियुक्ति प्रारंभिक शिक्षा ( कक्षा 1 से 8 तक ) के विद्यालयों में से नहीं की जावे।

कृपया उपरोक्त निर्देशों की तत्काल पालना किया जाना सुनिश्चित करें।

  
अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं नोडल  
अधिकारी SECC-2011

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, शहरी विकास, आवासन एवं स्वायंत्त शासन विभाग, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं संस्कृत विभाग जयपुर।
3. शासन सचिव, स्वायंत्त शासन विभाग, जयपुर।
4. निदेशक, जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान, 6-बी, झालाना डुगरी, जयपुर।

  
शासन सचिव (ग्रामीण विकास)